जनहति प्रतरिक्षा दावा कार्यवाही

प्रलिमि्स के लयि:

सीलबंद कवर कार्यवाही, जनहति प्रतरिक्षा दावा कार्यवाही।

मेन्स के लयि:

सीलबंद कवर कार्यवाही पर सर्वोच्च न्यायालय की टपि्पणयाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालयों में सीलबंद कवर कार्यवाही के उपयोग और एक मलयालम चैनल के प्रसारण प्रतबिंध मामले पर नरि्णय सुनाया।

- **न्यायालय ने मीडयि में आवाज़ों को दबाने** एवं संवैधानकि अधकिारों **को कम करने** तथा **नषि्पक्ष सुनवाई की प्रक्रयिात्मक गारंटी हेतु सरकार की आलोचना की।**
- न्यायालय ने **सीलबंद कवर (मोहरबंद लफिाफा)** के उपयोग को बदलने हेतु **जनहति प्रतरिक्षा दावा कार्यवाही के लयि एक वैकल्पकि प्रक्रयिा भी तैयार** की।

सीलबंद कवर कार्यवाही:

- **सीलबंद कवर कार्यवाही** का उपयोग अक्सर **संवेदनशील या गोपनीय जानकारी** जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों या ऐसे मामलों में कयिा जाता है जहाँ साक्ष्यों के प्रकटीकरण में **शामलि व्यक्तयिों की गोपनीयता** से समझौता हो सकता है।
- ऐसे मामलों में दस्तावेज़ या साक्ष्य न्यायालय में सीलबंद लफिाफे में प्रस्तुत कयि जाते हैं और केवल **न्यायाधीश एवं एक नामति न्यायकि अधकिारी को सीलबंद लफिाफे की सामग्री की जाँच करने की अनुमति होती है।**
  - **मामले के पक्षकारों की सीलबंद कवर की सामग्री तक पहुँच नहीं होती है** और **न्यायालय अपने नरि्णयन हेतु केवल सीलबंद कवर में नहिति जानकारी पर भरोसा करते है।**
- सीलबंद कवर कार्यवाही **संवेदनशील जानकारी या व्यक्तयिों की गोपनीयता की रक्षा करने** के साथ न्यायकि प्रक्रयिा में पारदर्शति **की आवश्यकता को संतुलति** करने का एक साधन है।
  - हालाँकि, **सीलबंद कवर के उपयोग ने संवैधानकि अधकिारों** एवं कानून के तहत नषि्पक्ष सुनवाई की प्रक्रयिात्मक गारंटी को कम कर दयिा है।

जनहति प्रतरिक्षा दावा कार्यवाही:

- **परचिय:**
  - **सर्वोच्च न्यायालय** ने गोपनीयता के लयि राज्य के दावों से नपिटने के दौरान **सीलबंद कवर कार्यवाही हेतु "वकिल्प"** के रूप में **"कम प्रतबिंधात्मक" जनहति प्रतरिक्षा (PII) दावा कार्यवाही** को वकिसति कयिा।
  - **PII की कार्यवाही एक "गुप्त बैठक" होगी,** लेकनि **राज्य के PII के दावे को अनुमति देने या खारज़ि करने का एक तर्कपूर्ण आदेश** खुले न्यायालय में घोषति करने का प्रावधान है।
- **प्रक्रयिा - न्यायमत्रि (एमकिस क्यूरी) की भूमकिा:**
  - न्यायालय द्वारा **न्यायमत्रि (एमकिस क्यूरी),** जसिका अर्थ **"न्यायालय का मत्रि"** है, की नयिुक्ति की जाएगी, जो **जनहति प्रतरिक्षा दावों में शामलि पक्षों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य** करेगा।
    - **न्यायालय द्वारा नयिुक्त न्यायमत्रि को राज्य द्वारा रोके जाने की माँग की गई है, जसिके लयि उन्हें दस्तावेज़ों को**

प्रदान किया जाएगा और कार्यवाही से पूर्व आवेदक तथा उनके अधिवक्ता के साथ बातचीत करने की अनुमति दी जाएगी ताकि उनके मामले का पता लगाया जा सके।
    - **जनहित प्रतिरक्षा कार्यवाही शुरू होने के पश्चात्** न्यायमित्र, **आवेदक या उनके अधिवक्ता के साथ बातचीत नहीं करेगा** जिसके लिये अधिवक्ताओं ने दस्तावेज़ को रोके जाने की माँग की है।
    - **न्यायमित्र "अपनी क्षमता के अनुसार आवेदक के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा"** और **किसी अन्य व्यक्ति के साथ दस्तावेज़ पर चर्चा नहीं करने की शपथ से बाध्य** होगा।
- **त्रुटियाँ/दोष :**
    - चूँकि **संविधान का अनुच्छेद 145** विशेष रूप से अनिवार्य करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय स्वतंत्र रूप से दिये जाएं, **PII के अनुसार गुप्त बैठक की कार्यवाही इस संवैधानिक आदेश के विरुद्ध हो सकती है।**
        - **सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिक्रिया:** जबकि **न्यायालय ने यह माना कि जनहित प्रतिरक्षा कार्यवाही एक गुप्त बैठक में होगी,** उसने स्पष्ट रूप से कहा कि **न्यायालय को स्वतंत्र रूप से निर्णय देने या खारिज़ करने के लिये एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की आवश्यकता है।**
        - इसके अतिरिक्त सीलबंद कवर कार्यवाही न्याय के प्राकृतिक मानदंडों के साथ-साथ पारदर्शी व प्रत्यक्ष न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है तथा PII के दावों का भी न्याय के इन मानकों पर प्रभाव पड़ता है।

सीलबंद कवर कार्यवाही पर सर्वोच्च न्यायालय अन्य टिप्पणियाँ:

- **पी. गोपालकृष्णन बनाम केरल राज्य मामला (2019):**
    - सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भले ही जाँच जारी हो तथा **दस्तावेज़ों** से नई जानकारी मिल सकती हो, **अभियुक्तों के लिये इसका प्रकटीकरण कानूनी रूप से आवश्यक है।**
- **INX मीडिया मामला (2019):**
    - एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को जमानत देने से इंकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को **सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सीलबंद कवर में उपलब्ध कराए गए सबूतों पर आधारित होने के कारण चुनौती दी थी।**
        - इस कार्रवाई का आधार **निष्पक्ष परीक्षण** था।
- **Cdr अमित कुमार शर्मा बनाम भारत संघ मामला (2022):**
    - सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, **"प्रभावित पक्ष को प्रासंगिक जानकारी का प्रगटीकरण न करना और निर्णायक प्राधिकरण को सीलबंद कवर में इसका प्रगटीकरण करना** एक अनुचित उदाहरण प्रस्तुत करता है।"

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/public-interest-immunity-claims-proceeding